प्रत्यक्ष रूप से मानवीय उपयोग की दृष्टि से अनुपयुक्त होती है किन्तु परिष्कृत करके इसे उपयोग में लाया जा सकता है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने सभी संभव सावधानियां बरती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मण्डी हस्तक्षेप प्रचालन के तहत अधिकतम स्टॉक का निपटान अच्छी क्वालिटी के खाद्य तेलों के रूप में किया जा रहा है।

(घ) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान भण्डारण गुणवत्ता नियंत्रण तथा बीमें पर व्यय की गई राशि सहित मण्डी हस्तक्षेप प्रचालन पर खर्च की गई कुल राशि इस प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रुपये)
1990-91	5.59
1991-92	7.24
1992-93	9.54

छोटे और सीमान्त किसानों के लिए प्रोत्साहन योजना

3321. **श्री वीरेन जे. शाह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के 76 प्रतिशत छोटे और सीमान्त किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए की एक प्रोत्साहन योजना तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष उपाय किए हैं कि उक्त योजना का लाभ केवल छोटे और सीमान्त किसानों को ही मिले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों को नियंत्रणमुक्त कर देने के कारण मूल्य-वृद्धि के परिणामस्वरूप और छोटे व सीमान्त किसानों की हितों की सुरक्षा करने के लिए भारत सरकार ने कृषि संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए 500 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक विशेष योजना मंजूर की है। यह योजना 1992-93 के लिए अनुमोदित की गई थी।

(ख) जब राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्तों में से या महसूस की गई आवश्यकताओं और स्थानीय स्थितियों के अनुसार योजनाएं शुरू करने की पर्याप्त नम्यता दी गई थी तो मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में निम्नलिखित योजनाओं के लिए सुझाव दिए गए थे :—

(1) उत्तर पूर्व में क्वालिटी बीजों का बफर स्टॉक तैयार करना/बीज उत्पादन;

(2) बोर किए गए/उथले नलकूप आदि की व्यवस्था के लिए योजनाएं;

(3) छोटे/सीमान्त कपास कृषकों के बीच ड्रिप सिंचाई प्रणाली;

(4) भूमि विकास जिसमें मृदा का सुधार भी शामिल है;

(5) कुक्कुट पालन, मात्स्यिकी, फल/सब्जी आदि के लिए छोटे/सीमान्त कृषक सहकारी समितियों की अवसंरचना को मजबूत बनाना;

(6) भण्डारण/खुदरा बिक्री केन्द्रों में सुधार करना, निम्न खपत वाले क्षेत्रों में उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की व्यवस्था;

(7) छोटे ट्रैक्टरों के उपयोग को बढ़ावा देना;

(8) उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण अवसंरचना की स्थापना करना; और

(9) जीव विज्ञानीय नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ केवल छोटे/सीमान्त किसानों को ही प्राप्त हो, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और ऐसी योजनाओं का पता लगाने की सलाह दी गई है जो छोटे/सीमान्त किसानों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हों।